

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 7] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 1978/पौष 14, 1899
No. 7] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 1978/PAUSA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1978

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. सं. 7(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लॉकडाउन में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 90 के अंतर्गत सम्मिलित फोटोग्राफी कैमरों के पुंजों के, तब जब फोटोग्राफी कैमरों के विनिर्माण के लिए भारत में उनका आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उक्त भाग से छूट देती है जो मूल्य के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 4 फा. सं. 355/286/77-सी यू एस-आई]
एम. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts parts of photographic cameras, falling within Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of photographic cameras, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 60 per cent ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th June, 1979.

[No. 4/F. No. 255/286/77-Cus. I]
M. JAYARAMAN, Under Secy.